राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / दिनांक : 14.12.2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जेठाराम पुत्र राणाराम, जाति जाट, निवासी चम्पाबेरी, गोपड़ी, तहसील पचपदरा (बाड़मेर)		1. किशनाराम पुत्र खेताराम वगैरा 19, जाति जाट, निवासी पूनियों की बेरी, परेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 371 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खांतेदारी खेत मौजा – पूनियों की बेरी, पटवार हल्का – परेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 927 / 352, 928 / 839 रकबा क्रमशः 1.9992, 4.2168 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक 14.12.2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1530-1534

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का परेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेठाराम पुत्र राणाराम,
4. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र खेताराम वगैरा 19,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.30 11:53:27 IST
Reason: SelfAttested